

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:- पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वाणिज्य-कर आयुक्त -सह- प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत् प्रक्षेत्र की ईकाइयों को वैट/प्रवेश कर/सी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-919 दिनांक-07.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत वैट/प्रवेश कर/सी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य-कर विभाग को भेजे गए अनुशंसा पत्र में निम्न संशोधन किया जाता है :-

(i) SI No.-377 पर अंकित ईकाई Rajiv Industries, Rani ghat, Steel Factory, Mahendru, Sultanganj, Patna के Proposed Adjustment को ₹8,53,292/- की जगह ₹2,50,968/- पढ़ा जाय।

(ii) SI No.-389 पर अंकित ईकाई Usha Welds Limited, Ashochak, New bypass, Transport Nagar के Proposed Adjustment को ₹39,06,000/- की जगह ₹1,17,18,000/- पढ़ा जाय।
शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-1038

पटना, दिनांक-15.3.18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित ईकाइयों/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना